कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 1306 / 12-1(2) नई टिहरी, दिनांक– 11/01/2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– **जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलगंना में ठेला–थार्ती–चिरबिटिया मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/10965/2015)**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांकः–976/ FP/UK/ROAD/10965/2015, दिनांकः–15–09–2017।

महोदय,

नोडल कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है–

Sl. no.	Short Coming	Clarification/Answer
1	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से भारत सरकार द्वारा अपने ऑन लाईन आपत्ति में बिन्दु संख्या–7 में दिये गये निर्देश के क्रम में आपत्ति लगाई गई है किः– वर्तमान समरेखण में 1102 वृक्षो का पातन हो रहा है, जिसमें 130 बांज के वृक्षो का पातन भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान समरेखण निरस्त करते हुए अन्य समरेखणों पर विचार करने हेतु लिखा गया है। अतः उक्त प्रस्ताव को निरस्त करते हुए नया प्रस्ताव नियमानुसार गठित कर ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन हार्ड प्रति में प्रेषित किया जाय।	उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांकः–1738/10एम0जी0, दिनांक–21–11–2017 से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को निरस्त किये गये प्रस्ताव पर पुनः विचार करने हेतु लिखा गया, पत्र की प्रति इस वन प्रभाग को भी पृष्ठांकित है। (छाया प्रति संलग्न) प्रस्तावक विभाग के उक्त पत्र के क्रम में मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उच्च शिक्षा, सहकारित, प्रोटोकाल, दुग्ध विकास उत्तराखण्ड शासन के द्वारा अपने पत्रांकः–584/कैम्प /वी0आई0पी0/उ0शि0/सह0/प्रो0/दु0वि0 /2017, दिनांक–15–12–2017 से अधोहस्ताक्षरी को यह निर्देश दिये गये कि प्रास्तवक विभाग के उक्त पत्र द्वारा प्रस्तुत आख्या की पुष्टि के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडंल अधिकारी, वन संरक्षण को अपने स्तर से लिखना सुनिश्चित करे। मा0 राज्य मंत्री जी से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांकः–1272/12–1, दिनांक–04–01–2018 से नोडल अधिकारी महोदय को प्रस्तावक विभाग के उक्त पत्र के क्रम में लिखा गया। (छाया प्रति संलग्न) अतः आपत्ति के क्रम में आख्या/निराकरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

D/PK Gen. Lattre online part-ii

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT,
GHANSALI, HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR

UTTARAKHAND

P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- http://pwd.uk.gov.in

Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :–1738/10 WAB   दिनांक– 21/11/2017

सेवा में,

अफर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिलंगना में राज्य योजना के अन्तर्गत ठेला–थार्ती–चिरबिटिया मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/10965/2014)

सन्दर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक–976 / FP/UK/ROAD/10965/2014 दिनांक–15.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त मोटर मार्ग को निरस्त कर पुनः नये समरेखण हेतु सुझाव दिया गया है। पूर्व में अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के कार्यालय पत्रांक–9062 / 133सी0–8 / 2009, दिनांक– 05.12.2009 को 5.65 कि0मी0 लम्बाई में 01 H.P Band के साथ समरेखण अनुमोदित किया गया था। इसमें 4500 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे। जिसमें बांज / बुरांश के वृक्ष भी सम्मिलित हैं। वृक्ष अधिक आने के कारण समरेखण निरस्त किया था। पुनः 7.50 कि0मी0 लम्बाई में 07 H.P Band के साथ नया समरेखण किया गया, मोटर मार्ग से 1170 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें 140 बांज के वृक्ष सम्मिलित हैं। इस समरेखण को भी वृक्ष अधिक आने के कारण निरस्त किया गया। वर्ष 2014 में अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के कार्यालय पत्रांक–1471 / 133सी0–8 / 2014, दिनांक–06.09.2014 को 6.75 कि0मी0 लम्बाई में 05 H.P Band के साथ पुनः नया समरेखण अनुमोदित किया गया। उक्त समरेखण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है। वर्तमान में इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य नये समरेखण में भी वृक्ष और अधिक प्रभावित होंगे, जिसमें बांज / बुरांश के वृक्ष भी सम्मिलित होंगे। उक्त समरेखण (मोटर मार्ग) से कई गांव (ग्रामसभा– थार्ती, सौड़, गुदरखेत, सिल्ली भेलगढी एवं पंया) व छोटे किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व में स्वीकृत उक्त समरेखण (वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव) पर जन हित में पुनर्विचार करने की कृपा करें।

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर न0 2507
फाइल न0 12-1
दिनांक 1/12/17

(इं0 नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

पत्रांकः– / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–
01. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
02. वनक्षेत्राधिकारी, भिलंगना रेंज, घनसाली को सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली को सूचनार्थ प्रेषित।

21/11/17
अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

New letter/ sunil/ computer2

डा. धन सिंह रावत
राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकाल,
दुग्ध विकास

उत्तराखण्ड सरकार

विधान सभा भवन
देहरादून
कक्ष सं. : 23
फोन : (0135) 2666410
फैक्स : (0135) 2666411 (का.)

पत्रांक 584/कैम्प/वी.आई.पी./उ.शि./सह./प्रो./दु.वि./2017
दिनांक 15/12/2017

वन प्रभागीय अधिकारी,
भागीरथी वन प्रभाग, टिहरी

कृपया श्री राजेन्द्र बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य, नैलचामी, टिहरी गढ़वाल का का पत्र दिनांक 15.12.2017 का अवलोकन करें। जिसमें उनके द्वारा थार्ती–चिरविटिया मोटर मार्ग के निर्माण से संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग घनसाली के पत्र संख्या–1738/10mg दिनांक 21.11.2017 जो कि अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरा नगर देहरादून का संदर्भित किया गया है की पुष्टि कर तत्काल अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरा नगर देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरि।

(डॉ0 धन सिंह रावत

18/12/2017

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT,
GHANSALI, HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR
P.O. Pilkhi, Pin Code-249181 Phone and Fax No. 01379-258327
Website- http://pwd.uk.gov.in E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :–1730/10 मा0 दिनांक–21/11/2017

सेवा में,

अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिलंगना में राज्य योजना के अन्तर्गत ठेला–थार्ती–चिरबिटिया मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/10965/2014)

सन्दर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक–976 / FP/UK/ROAD/10965/2014 दिनांक–15.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त मोटर मार्ग को निरस्त कर पुनः नये समरेखण हेतु सुझाव दिया गया है। पूर्व में अधीक्षण अभियन्ता, 8वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के कार्यालय पत्रांक–9062 / 133सी0–8 / 2009, दिनांक– 05.12.2009 को 5.65 कि0मी0 लम्बाई में 01 H.P Band के साथ समरेखण अनुमोदित किया गया था। इसमें 4500 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे। जिसमें बांज / बुरांश के वृक्ष भी सम्मिलित है। वृक्ष अधिक आने के कारण समरेखण निरस्त किया था। पुनः 7.50 कि0मी0 लम्बाई में 07 H.P Band के साथ नया समरेखण किया गया, मोटर मार्ग से 1170 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें 140 बांज के वृक्ष सम्मिलित हैं। इस समरेखण को भी वृक्ष अधिक आने के कारण निरस्त किया गया। वर्ष 2014 में अधीक्षण अभियन्ता, 8वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के कार्यालय पत्रांक–1471 / 133सी0–8 / 2014, दिनांक–06.09.2014 को 6.75 कि0मी0 लम्बाई में 05 H.P Band के साथ पुनः नया समरेखण अनुमोदित किया गया। उक्त समरेखण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है। वर्तमान में इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य नये समरेखण में भी वृक्ष और अधिक प्रभावित होंगे, जिसमें बांज / बुरांश के वृक्ष भी सम्मिलित होंगे। उक्त समरेखण (मोटर मार्ग) से कई गांव (ग्रामसभा– थार्ती, सौड़, गुदरखेत, सिल्ली भेलगढ़ी एवं पया) व छोटे किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व में स्वीकृत उक्त समरेखण (वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव) पर जन हित में पुनर्विचार करने की कृपा करें।

(ई0 नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
O/C अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

पत्रांक:– / तददिनांक।

प्रतिलिपि–
01. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
02. वनक्षेत्राधिकारी, भिलंगना रेंज, घनसाली को सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
O/C अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

रजिस्टर्ड

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 1272/12-1 नई टिहरी, दिनांक– 4/1/ 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड–भिलंगना में राज्य योजना के अन्तर्गत ठेला–थार्ती–चिरबिटिया मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। **(FP/UK/ROAD/10965/2014)**

सन्दर्भः– मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकाल, दुग्ध विकास, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांकः–584/कैम्प/वी0आई0पी0/उ0शि0/सह0/प्रो0/ दु0वि0/2017, दिनांकः–15–12–2017, आपका पत्रांकः–976/ FP/UK/ROAD/10965/2014, दिनांकः–15–09–2017 एवं अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, टिहरी गढवाल का पत्रांकः–1738/10एम0जी0, दिनांकः–21–11–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत करना है कि मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभाग) उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकाल, दुग्ध विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने उक्त सन्दर्भित पत्र से प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली के उक्त सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तावित समरेखण की पुष्टि कर आख्या आपको उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मा0 राज्य मंत्री जी के निर्देश के अनुपालन में अवगत करना है कि अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के द्वारा पूर्व में चयनित समरेखण जिसमें 4500 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे इस समरेखण में बांज/बुरांश के वृक्ष भी सम्मिलित थे, अधिक वृक्ष प्रभावित होने के कारण निरस्त कर दिया गया। पुनः दूसरा समरेखण चयनित किया गया जिसमें मार्ग की लम्बाई 7.50 कि0मी0 के साथ 07 एच0पी0 बैण्ड सम्मिलित थे। इस समरेखण में 1170 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया जिसमें 140 बांज के वृक्ष सम्मिलित थे इस समरेखण में भी अधिक वृक्ष प्रभावित होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया था।

वर्ष–2014 में अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी द्वारा 6.75 कि0मी0 लम्बाई वाले समरेखण को चयनित किया गया जिसमें 05 एच0पी0 बैण्ड प्रस्तावित थे। इस समरेखण में 1102 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिसमें बांज के वृक्ष भी सम्मिलित हैं तथा क्षेत्र के ग्राम–थार्ती, सौड, गुदरखेत, सिल्ली भेलगढी एवं पंया के स्थानीय ग्रामवासी लाभान्वित हो रहे हैं। इस समरेखण को निरस्त न करते हुए स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जनहित में पुनर्विचार करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांकः–1738/10एम0जी0, दिनांकः–21–11–2017 से पूर्व में ही आपसे अनुरोध किया गया है।

अतः अन्य समरेखण की तुलना में वर्तमान समरेखण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कम है तथा मार्ग की दूरी भी कम है। प्रश्नगत प्रकरण पर मा0 राज्य मंत्री जी के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अनुपालन आख्या/रिपोर्ट सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

संख्या : 1272/12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, टिहरी गढवाल को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

O/C

PK/Gen lattre LT 02